

प्रेषक,

संख्या - १५ / १-१०-२००९-१२(३४) / २००३टीसो-३

जी० के० ठण्डन,  
राहत आयुक्त एवं सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
बाराबंकी, झांसी व ललितपुर।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ: दिनांक: १५ जनवरी, २००९

विषय: वर्ष २००८-०९ में ओलावृष्टि के पूरक यथा—अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक ०६ जनवरी, २००९ में लिए निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष २००८-०९ में ओलावृष्टि के पूरक यथा—अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु सार्वजनिक उपयुक्त स्थानों पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने व जरूरत मद लोगों को निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु श्री राज्यपाल महोदय अलाव एवं कम्बल मद में निम्नांकित कुल धनराशि रु० २०,५०,०००/- (रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र) अग्रलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जनपद का नाम	आवित धनराशि रु० में		कुल आवंटित धनराशि रु० में
		अलाव मद	कम्बल मद	
१.	बाराबंकी	३०००००	६०००००	९०००००
२.	झांसी	२५००००	५०००००	७५००००
३.	ललितपुर	१०००००	३०००००	४०००००
	योग :	६५००००	१४०००००	२०५००००

### १. अलाव की व्यवस्था

(अ) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में स्थित नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर

पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय।

- (ब) अलाव जलाने पर व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र अलाव के जलाने के स्थल, दिन की संख्या, लकड़ी के कय की रसीद, कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

## 2. कम्बल की व्यवस्था

- (अ) प्रमुख सविव, लघु उद्योग अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 1862 / 18-5-2008-25(एस०पी०) / 2008 दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1870 / 18-5-2008-25(एस०पी०) / 2008 दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 द्वारा निर्धारित मानक दरों एवं संस्था से कम्बल का कय किया जाय।
- (ब) कय किये जाने वाले कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से०मी०, चौड़ाई कम से कम 140 से०मी० तथा वजन कम से कम 2.2 कि०ग्रा० का होना चाहिए। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
- (स) उक्त इंगित गुणवत्ता का कम्बल लघु उद्योग अनुभाग-5 द्वारा निर्धारित मानक दरों के अनुरूप किया जाय। सम्बन्धित संस्था द्वारा कम्बल की आपूर्ति प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर की जायेगी। कम्बल पहुंचाने का मार्ग व्यय सम्बन्धित संस्था द्वारा ही बहन किया जायेगा।
- (द) जिलाधिकारी आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल का एक-एक मानक सैम्प्ल मुख्यालय पर रखेंगे, जिसका वितरण कदापि नहीं किया जायेगा, ताकि कम्बल की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
- (य) लघु उद्योग अनुभाग-5 द्वारा निर्धारित कोई संस्था निर्धारित संख्या/निर्धारित समय में कम्बल की आपूर्ति नहीं कर पाती है तो उसका आपूर्ति आदेश निररत कर दिया जाय तथा उसकी आपूर्ति अन्य संस्था से प्राप्त की जायेगी।
- (र) लघु उद्योग अनुभाग-5 द्वारा निर्धारित कम्बल आपूर्ति करने वाली संस्थाओं को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम तथा कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित होगा कि यह कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क निराश्रितों को वितरित किया जा रहा है, जो बिकी योग्य नहीं है।
- (ल) निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाये कम्बल का कय एवं वितरण शीघ्रता एवं तत्परता से किया



जाए ताकि जरूरत मन्द व्यक्तियों को समय से यह सुविधा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु प्राप्त हो सके तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु न हो।

(व) कम्बल के क्य पर व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र और कम्बल वितरण अधिकारी का नाम व पदनाम सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(श) निराश्रित/असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के विन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार, अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाय। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अत्यसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं को तथा नगरीय क्षेत्रों में मलिन बसितियों व ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े मजरों में निवास करने वाले विशेषकर कमज़ोर वर्ग के वृद्ध व बीमार पुरुष/महिला को प्राथमिकता दी जाय। उपरोक्त के कम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाय तथा दिनांक 20 जनवरी, 2009 तक प्राप्त कम्बलों को कैम्प लगाकर वितरित किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि लगभग प्रत्येक ग्रामों में निर्धनतम व्यक्तियों को कम्बल अवश्य वितरित हो जाय। कम्बल वितरण के समय जनप्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया जाय।

3. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “ 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय ” के नामे डाला जायेगा।

4. शासन द्वारा आवंटित शीतलहर की धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

5. अलाव व कम्बल मद में व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण/भौतिक कार्य विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप में आपदा का प्रकार ओलावृष्टि के अन्तर्गत क्रमांक-14 “शरणार्थी कैम्प पर व्यय” मद में अलग-अलग कालम में अलाव जलाने व कम्बल पर व्यय हुई धनराशि को अंकित किया जाय।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृत धनराशि संभावित शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने व निःशुल्क कम्बल



वितरण के दायित्वों की पूर्ति के लिये है। इस धनराशि का उपयोग विगत वर्षों के दायित्वों तथा अन्य मदों पर व्यय की अनुमन्यता नहीं है।

7. कृपया आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए इसका लेखा-जोखा वित्तीय नियमों के अनुसार रखा जाए तथा व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय साथ ही आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,  
(जी० के० टण्डन)  
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या - १५ (१) / १-१०-२००९-१२(३४) / २००३ टीसी-३, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, फैजाबाद, झांसी।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, बाराबंकी, झांसी व ललितपुर।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/बजट सहायक राजस्व अनुभाग-१०/राजस्व अनुभाग-६/११/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. चालू वित्तीय वर्ष २००८-०९ की जनपदवार धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(शिशिर कुमार यादव)  
उप सचिव